न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13 / 2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी रामलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्यारचन्द पिता हिरा जी लोहार, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. किशनलाल पिता हिरा जी लोहर, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. चुन्नीलाल पिता हिरालाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती रूकमणीदेवी पत्नी भंवरलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती नेनीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भंवरलाल पिता हिरालाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. अम्बालाल पिता चुन्नीलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. मोहनलाल पिता भंवरलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. डालू पिता सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. सोहनलाल पिता सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. धन्नालाल पिता सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
13. चतरभुज पिता सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
14. हजारी पिता सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती ऐजीबाई पत्नी सवाईराम जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

16. बाबुलाल पिता चुन्नीलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

17. नानालाल पिता दीपा जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

18. श्रीमती कजोडीदेवी पत्नी नेनालाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

19. गोपा पिता गोमा जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

20. गोवर्धन पिता गोमा जी बलाई, निवासी आगरिया का वाड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

21. श्रीमती शान्ता पिता रामलाल पत्नी देवीलाल जी कुमावत, निवासी आगरिया का वाड़ा, हाल ग्राम भाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता केशा जी बलाई, निवासी कोटडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2. नारायणलाल पिता डालू जी मेघवाल, निवासी ई–87, चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द।

4. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

5. पटवारी, पटवार हल्का आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध आदेश
उपखण्ड अधिकारी, आमेट क्रमांक
राजस्व/2018/68 दिनांक 26.03.2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री डालचन्द जाट अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2

निर्णय दिनांक 09–01–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में मूलता तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–02–1994 से ग्राम आगरिया में नामान्तरकरण संख्या 610 से श्री नारायणलाल व मोहनलाल के नाम इस भूमि के आबादी में संपरिवर्तन होने के बाद उक्त भूमि को उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–03–2016 से भूमि खाते से हटाकर बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय के विरूद्ध श्री नारायणलाल द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 7/2016 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–01–2017 से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में निर्णय पारित करें।

इस न्यायालय के प्रेक्षण आदेश के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2018 दर्ज की जाकर पुनः तहसीलदार आमेट से रिपोर्ट प्राप्त की तथा प्रकरण में दिनांक 26–03–2018 को निर्णय पारित करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 16–03–2016 को अपास्त करते हुए भूमियां पुनः नारायणलाल व मोहनलाल के खाते दर्ज करने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26–03–2018 से रूष्ट होकर वर्तमान अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2018 को पेश की गई है।

अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, किन्तु प्रकरण में अपीलान्टगण का हित निहित है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि को उनके द्वारा क्रय किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्टगण के हित प्रभावित होने वाले हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि

विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की है एवं भूमियों का आबादी में संपरिवर्तन हो चुका है। उक्त भूमि के आबादी में संपरिवर्तित होने के बाद उक्त भूमि बिलानाम दर्ज किये जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी आमेट के आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपास्त किया किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण रूपान्तरित भूमि के क्रेता होने के कारण वह इस भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवाना चाहते हैं तथा इस भूमि में अपना हित होना बताते हैं। वस्तुतः एक बार जब कोई भूमियां आबादी में दर्ज हो जाती हैं तो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है एवं इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से भूमियां पुनः खातेदारों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में भूमियां खातेदारों के नाम दर्ज होकर आबादी अंकित है। उक्त भूमियां आबादी भूमियां होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। तद्नुसार यदि अपीलान्ट/प्रार्थीगण अपने आपको हितबद्ध मानते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों का विनिश्चियन सक्षम सिविल न्यायालय से करवाना चाहिए।

अतएवं उक्त प्रकरण में भूमियां आबादी होने से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं पाते हैं, तद्नुसार अपील क्षेत्राविहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26–03–2018 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर